

Annexure - 2

वित्तीय दिशा निर्देश

- A कार्यक्रम का नाम - संविदा के आधार पर प्रत्येक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (कुल 1243) में एक आयुष चिकित्सक की नियुक्ति ।
- B बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आयुष को मुख्य-धारा के रूप में सम्मिलित करना ।
- C बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या- 11

- कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण - आयुष पद्धति के लिए ए0एच0पी0सी0 के चयन का आधार - देशी चिकित्सा के तीनों पद्धतियों आयुर्वेद/यूनानी एवं होमियोपैथिक के माध्यम से रोगियों की चिकित्सा हेतु राज्य में 1243 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में (50 प्रतिशत आयुर्वेद , 20 प्रतिशत यूनानी एवं 30 प्रतिशत होमियोपैथी पद्धति हेतु प्रावधान है।) आयुष चिकित्सा पद्धति पूर्व से ही लोगों द्वारा अपनाया गया है, एवं यह सर्वज्ञ है कि प्राथमिक चिकित्सा के रूप में सर्वप्रथम आयुष चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार किया जाता रहा है । इसी के आलोक में आयुष चिकित्सा सेवा सरकारी स्वास्थ्य सेवा द्वारा भी उपलब्ध कराने का प्रयास है।
यूनानी अति0प्रा0स्वा0के0 मुस्लिम बहुल क्षेत्र में , होमियोपैथिक शैक्षिक बहुल क्षेत्र में एवं आयुर्वेद चिकित्सा अन्य क्षेत्र में रखा जाएगा ।
- नियुक्ति - आयुष चिकित्सकों का चयन राज्य स्तर पर स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जाएगा एवं नियुक्ति सिविल सर्जन के स्तर से डी0एच0एस0 द्वारा संबंधित जिला में किया जाएगा ।
- संभावित उपलब्धियाँ - चिकित्सक की नियुक्ति से तीन महीना बाद 50-100 मरीज ओ0पी0डी0 में आयुष चिकित्सा ले सकेंगे । एक साल के आयुष विभाग द्वारा दर्शाये गए चिकित्सा क्षेत्र में मरीज लक्ष्य के अनुरूप सेवा प्राप्त करेंगे।
- प्रत्येक महीना उपलब्ध चिकित्सा सेवा का चार्ट सिविल सर्जन/जिला देशी चिकित्सा पदा0 के माध्यम से मांग की जायेगी । जिस चिकित्सा सेवा में मरीज कम होगा उसकी बजह जानकर दिशा निर्देश मुख्यालय स्तर से दिया जाएगा । प्रत्येक तीन महीना पर जिला स्तर पर समीक्षा की जाएगी जिसमें मुख्यालय स्तर से कोई पदा0 यथोचित निदेश देंगे। (आधार - भारत सरकार का दिशा निर्देश संलग्न)

E इकाई राशि (रु0 लाख में) - प्रत्येक चिकित्सक 20,000/- (बीस हजार) रुपये की प्रतिमाह की दर से प्रथम चरण में 9 माह के लिए कुल रु0 20,000X1243X9=22,37,40,000/- रु0 मात्र ,

2237.40 लाख ,प्रतिमाह 0.20X1243=248.6 लाख

- F वित्तीय दिशा निर्देश - 1. जिला स्वास्थ्य समिति के दिशा निर्देश संख्या- दिनांक - के आलोक के माध्यम से संचालित होगा एवं इस गतिविधि के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संबंधित जिला के " जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी " होंगे , तथा ये जिला स्वास्थ्य समिति के सदस्य भी होंगे ।
- राशि का उपयोग जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से होगा ।
 - जिला स्तर पर जिला देशी चिकित्सा पदा0 प्रोग्राम एवं राशि खर्च के जिम्मेदार होंगे।

G इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया हो (पत्र संख्या तिथि के साथ उल्लिखित करें)

(क) 260(दो0चि0) दिनांक 22.03.07 (ख)

(ग) =

H संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाकार का नाम -- श्री देवेन्द्र नाथ शर्मा , निदेशक (दो0चि0)/डा0 तबरेज अख्तर वि0का0पदा0, रा0औ0पा0बोर्ड , देशी चिकित्सा, स्वा0 विभाग,

। संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाकार का फोन नं0 - 9430510653

आयुष फर्मासिस्ट

A कार्यक्रम का नाम - संविदा के आधार पर प्रथम चरण में 9 माह के लिए 1243 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 6500/- रू0 प्रति माह की दर से आयुष फर्मासिस्ट की नियुक्ति ।

B बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आयुष को मुख्य-धारा के रूप में सम्मिलित करना ।

C बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या - 11

D कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण - देशी चिकित्सा पद्धति की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु फर्मासिस्ट की आवश्यकता ।

आयुष फर्मासिस्ट

शैक्षणिक योग्यता - डी0 फार्मा/आयु/यूनानी/होमियो फार्मसी/डिग्री अथवा डिपलोमा, आयु0/यूनानी/होमियोपैथिक अथवा समकक्ष यूनानी फार्मासिस्ट हेतु अर्हता के साथ मैट्रिक स्तर पर उर्दू ज्ञान आवश्यक होगा । फर्मासिस्ट का चयन राज्य स्वा0 समिति के स्तर पर होगा एवं नियुक्ति जिला स्तर पर सिविल सर्जन /जिला देशी चिकित्सा पदा0 द्वारा जिला स्वा0 समिति के माध्यम से होगा ।

E इकाई राशि (रू0 लाख में) - प्रत्येक कर्मी 6500/-(छः हजार पाँच सौ) रू0 प्रति माह की दर से प्रथम चरण में 9 माह के लिए कुल 1243 फर्मासिस्टों के लिए कुल $6500 \times 1243 \times 9 = 7,27,15,500$ /- रू0 मात्र

प्रतिमाह $0.065 \times 1243 = 8.06$ लाख

F वित्तीय दिशा निर्देश -1. जिला स्वास्थ्य समिति के दिशा निर्देश संख्या- दिनांक - के आलोक के माध्यम से संचालित होगा एवं इस गतिविधि के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संबंधित जिला के " जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी " होंगे, तथा ये जिला स्वास्थ्य समिति के सदस्य भी होंगे ।

2. राशि का उपयोग जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से होगा ।
3. जिला स्तर पर जिला देशी चिकित्सा पदा0 प्रोग्राम एवं राशि खर्च के जिम्मेदार होंगे ।

1. राशि का उपयोग जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से होगा ।
2. उपस्थिति के अनुसार संबंधित प्रभारी अति0प्रा0स्वा0के0 द्वारा सिविल सर्जन के माध्यम से जिला देशी चिकित्सा पदा0 द्वारा भुगतान किया जाएगा ।
3. जिला स्तर पर जिला देशी चिकित्सा पदा0 प्रोग्राम एवं राशि खर्च के जिम्मेदार होंगे ।

G इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया हो (पत्र संख्या तिथि के साथ उल्लिखित करें)

(क)

(ख)

(ग)

H संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाकार का नाम - श्री देवेन्द्र नाथ शर्मा, निदेशक (दे0चि0)/डा0 तबरेज अख्तर, वि0का0पदा0, रा0औ0पा0बोर्ड, देशी चिकित्सा, स्वा0 विभाग,

I संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाकार का फोन नं0 - 9430510653